राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12281/2016

अमित व्यास पुत्र श्री बजरंग लाल व्यास, निवासी -सी-195, मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर। ----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण सेवा, राजस्थान सरकार, जयपुर

3. अपर निदेशक प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कल्याण सेवा, राजस्थान सरकार, जयपुर

4. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग ए 2/110, राजस्थान सरकार, जयपुर।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री आर.एस. सलूजा तथा श्री अचरज सलूजा।

प्रतिवादी(ओं) के लिए:

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

<u>आदेश (मौखिक)</u>

09/05/2024

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 02.09.2016 (अनुलग्नक 11) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 15.07.2016 के अनुसार बिन्दु संख्या 1(vii) के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया था तथा दिनांक 30.09.2016 (अनुलग्नक 14) के कार्यालय आदेश के अनुसार याचिकाकर्ता को केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 406, 323, 34 के अंतर्गत एफआईआर संख्या 171/2011 के तहत लंबित मामले के कारण नियुक्ति से अयोग्य घोषित किया गया था।

2. संक्षेप में, याचिका में दिए गए प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता 30.01.2010 से एनआरएचएम के माध्यम से अनुबंध आधार पर जोनल मेडिकल स्टोर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर में फार्मासिस्ट के रूप में सेवारत था।

2.1. फार्मासिस्ट के पदों के लिए दिनांक 26.02.2013 को विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने पात्र होने के कारण अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया। जब याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म प्रस्तुत किया, तो उसके खिलाफ दर्ज किसी भी आपराधिक मामले का खुलासा करने के लिए कोई विशेष खंड/कॉलम प्रदान नहीं किया गया था। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अनुभव के लिए शैक्षणिक अंकों और 15 बोनस अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की गई थी। उक्त परीक्षा का परिणाम 16.08.2016 को घोषित किया गया था।

2.2. याचिकाकर्ता ने 26.08.2016 को अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने खुलासा किया कि वैवाहिक मतभेदों के कारण,

आईपीसी की धारा 498 ए, 406, 323 और 34 के तहत एक आपराधिक मामला महिला पुलिस थाने, बीकानेर में दर्ज किया गया था। इसके अलावा, उन्होंने अपने विरुद्ध पूर्व में दर्ज दूसरे मामले के बारे में भी बताया, जिसमें एफआईआर संख्या 194 दिनांक 28.07.2007 को धारा 451, 323, 341, 143 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था, जिसमें दिनांक 18.07.2008 को पक्षों के बीच समझौता हो गया था।

2.3. कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2016 को एक परिपत्र जारी किया गया था। परिपत्र में यह प्रावधान किया गया था कि यदि कोई आपराधिक मामला लंबित है, विशेष रूप से आईपीसी की धारा 498 ए के अंतर्गत, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं की जा सकती, भले ही वह मेरिट सूची में हो।

2.4. कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 15.07.2016 को जारी परिपत्र के अनुसार, बिन्दु संख्या 1(vii) के कारण याचिकाकर्ता को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। अतः यह तत्काल रिट याचिका है।

3. जवाब में बचाव पक्ष ने कहा कि याचिकाकर्ता को कार्मिक विभाग के दिनांक 15.07.2016 के परिपत्र के अनुसार नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, क्योंकि उस पर आपराधिक मामला लंबित है। यह निर्णय 1965 के नियम 12 के प्रावधान के अनुसार लिया गया है कि रोजगार के लिए अच्छा चरित्र होना आवश्यक है। याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी उसमें उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करती है। इसलिए याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है, जबकि प्रतिवादियों की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

5. इस न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए जो संक्षिप्त विवाद उत्पन्न होता है, वह यह है कि क्या लंबित आपराधिक मुकदमे में पक्षकारों के बीच हुए

समझौते के कारण बरी होने के बाद, जो पहले बाधा थे, याचिकाकर्ता उसका लाभ पाने का हकदार है?

6. इसका उत्तर इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा एसबीसीडब्ल्यूपी संख्या 17829/2016 के समान मामले में पहले ही दिया जा चुका है, जिसका शीर्षक मोहम्मद साजिद बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य है, जिसमें इस न्यायालय की ओर से बोलते हुए मेरे विद्वान भाई न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

> "पक्षकारों के वकीलों की सुनवाई की गई तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका निम्नलिखित कारणों से स्वीकार की जाने योग्य है; प्रथमतः याचिकाकर्ता की नियुक्ति का आदेश उसके विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होने के कारण रद्द कर दिया गया था, तथापि, रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, याचिकाकर्ता को सक्षम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2018 के निर्णय के अनुसार धारा 354 आईपीसी के अंतर्गत अपराध से बरी कर दिया गया है; द्वितीयतः प्रतिवादियों द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 15.07.2016 (अनुलग्नक-आर 1) के अवलोकन से पता चलता है कि प्रतिवादियों ने लंबित मामलों में बरी किए गए उम्मीदवार के पक्ष में निर्णय लिया है, अतः उम्मीदवार को नियुक्ति दी जा सकती है।
>
> इस दृष्टि से, रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा दिनांक 27.07.2016 के विवादित आदेश को अपास्त किया जाता है। याचिकाकर्ता को दिनांक 10.02.2016 के प्रारंभिक नियुक्ति आदेश के अनुसरण में नर्स ग्रेड-II के पद पर बहाल करने

का हकदार माना जाता है, हालांकि उसे काल्पनिक लाभ भी दिए जाएंगे।

प्रतिवादियों को एक महीने की अवधि के भीतर वर्तमान आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।"

7. वर्तमान मामले के तथ्यों को देखने के पश्चात यह पाया गया कि उपरोक्त निर्णय में यह तथ्य पूर्णतः समाहित है।

8. मैं इसमें व्यक्त विचारों से पूर्णतः सहमत हूँ। मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता को लाभ क्यों न दिया जाए।

9. तदनुसार, इस रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है। दिनांक 13.12.2016 का अंतरिम आदेश निरपेक्ष माना जाता है।

10. प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि यद्यपि याचिकाकर्ता 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के सिद्धांत पर नौकरी से बाहर रहने की अवधि के लिए किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा, लेकिन उसे सभी काल्पनिक लाभ उसी तिथि से दिए जाएंगे, जिस तिथि से उसके अन्य समकक्षों की नियुक्ति उसी चयन प्रक्रिया के तहत हुई थी, जिसमें याचिकाकर्ता ने भी उनके साथ नियुक्ति पूरी की थी।

11. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका दायर करने के समय सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान दायर करने के पश्चात वैवाहिक विवाद से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही अभी भी लंबित थी। वर्तमान स्थिति क्या है, यह अभिलेखों से स्पष्ट नहीं है। यदि याचिकाकर्ता को दोषमुक्त कर दिया गया है, तो कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह इसके लाभ का हकदार होगा।

12. इस आधार पर, यदि मुकदमा अभी भी लंबित है, तो प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को नियुक्ति का लाभ आईपीसी की धारा 498ए, 406, 323 और 34 के तहत आपराधिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन दें, जो याचिकाकर्ता की पत्नी की शिकायत पर शुरू की गई थी।

13. लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।